पत्रांक /1355/आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0 /15–16/देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
दिनांकः देहरादून :: 04 जून 2015

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन वित अनुभाग–8 द्वारा पत्र संख्या 472/2015/xxvii-(8)/1A(120)/2001 दिनांक 03 जून 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा ईट भट्टा सीजन वर्ष 2014–15 (01–10–2014 से 30–09–2015 तक) एवं सीजन वर्ष 2015–16 (01–10–2015 से 30–09–2016 तक) के लिये ईट भट्टा समाधान योजना लागू किये जाने एवं समाधान शुल्क में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है।

उपरोक्त पत्र की छायाप्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि शासन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(पीयूष कुमार)
एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, उत्तराखण्ड

पृ0प0सं0 1355 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– सलाहकार 'कर' उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3– अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अभिकरण, देहरादून/हल्द्वानी।
4– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/कुमांऊ जोन रूद्रपुर।
5– एडिशनल कमिश्नर (आडिट/प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
6– **ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/ सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**
7– ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।

कमशः पेज–2

8— **ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, हरिद्वार/रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां, कराकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**

9— **श्री शहाब अली, डिप्टी कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून एवं Web-Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।**

10— निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड रूड़की को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।

11— **आई0टी0—अनुभाग मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र को स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को E-mail द्वारा प्रेषित कर दें।**

12— उत्तरांचल ब्रिक्स एण्ड टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन 7 सहारनपुर रोड़ देहरादून।

13—Intavatt Info. Pvt. 4 फेयरी मैनर IInd Floor 13— आर0 सिंधुआ मार्ग मुम्बई—400001 महाराष्ट्र।

14—National Law House बी—2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड़, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

15—National Law and Management House 15/5 राजनगर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

16—Swastik Publication एस0ई—233, शास्त्री नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

17—Law Book Traders 10—नगर निगम कम्पाउण्ड केसरगन्ज रोड़ मेरठ उ0 प्र0।

18—डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्या0 कार्य0) वाणिज्य कर, नैनीताल।

19—अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सर्वश्री सत्या इण्डस्ट्रीज, माहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।

20—प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय सर्वश्री क्वालिटी हार्डवेयर गांधी रोड़ देहरादून।

21—दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल सर्वश्री नागलिया ऑटोमोबाईल त्यागी रोड़ देहरादून।

22— प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड, सर्वश्री दीवान ट्रेंडिंग कम्पनी 81—मोती बाजार देहरादून।

23—The whole sale dealers Association 14—आढ़त बाजार देहरादून।

24— प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन 222/5 गांधी ग्राम देहरादून।

25— कार्यालय अधीक्षक/विधि—अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

26— समस्त अनुभाग अधिकारी मुख्यालय।

एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, उत्तराखण्ड

v/notification/15-16/15/38

संख्या– 472/2015/xxvii-8/1A(120)/2001

प्रेषक,

राकेश शर्मा ,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग–8 देहरादून दिनांक: 3 जून 2015

विषयः–ईंट–भट्टा सीजन वर्ष 2014–15 (01.10.2014 से 30.09.2015 तक) एवं सीजन वर्ष 2015–16 (01.10.2015 से 30.09.2016 तक) के लिये ईंट–भट्टा समाधान योजना लागू किये जाने एवं समाधान शुल्क में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–5857/आयु0कर0उत्तरा0/विधि0–अनु0/2014–15, दिनांक 13 मार्च, 2015 तथा पत्र संख्या–369/आयु0कर0उत्तरा0/विधि0–अनु0/2015–16, दिनांक 23 अप्रैल, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ईंट–भट्टा सीजन वर्ष 2014–15 (01.10.2014 से 30.09.2015 तक) एवं सीजन वर्ष 2015–16 (01.10.2015 से 30.09.2016 तक) के लिये ईंट–भट्टा समाधान योजना लागू किये जाने एवं समाधान शुल्क में वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त ईंट–भट्टा सीजन वर्ष 2014–15 (01.10.2014 से 30.09.2015 तक) एवं सीजन वर्ष 2015–16 (01.10.2015 से 30.09.2016 तक) के लिये ईंट–भट्टा समाधान योजना लागू करते हुये निम्नानुसार समाधान राशि निर्धारित की जाती है:–

भट्ठे की श्रेणी	वर्ष 2014–15 के लिये समाधान राशि प्रति भट्ठा	वर्ष 2015–16 के लिये समाधान राशि प्रति भट्ठा
15 पाये तक	125000	150000
16 पाये तक	143000	172000
17 पाये तक	170000	204000
18 पाये तक	202000	242000
19 पाये तक	235000	282000
20 पाये तक	270000	324000
21 पाये तक	308000	370000
22 पाये तक	363000	436000
23 पाये तक	418000	502000
24 पाये तक	472000	566000

9217 03/6/15

Letter section/

25 पाये तक	534000	641000
26 पाये तक	595000	714000
27 पाये तक	662000	794000
28 पाये तक	728000	874000
29 पाये तक	797000	956000
30 पाये तक	870000	1044000
31पाये तक	942000	1130000
32 पाये तक	1018000	1222000
33 पाये तक	1087000	1304000
34 पाये तक	1162000	1394000
35 पाये तक	1238000	1486000
36 पाये तक	1309000	1571000
37 पाये तक	1382000	1658000
38 पाये तक	1457000	1748000
39 पाये तक	1529000	1835000
40 पाये तक	1600000	1920000

इस योजना से सम्बन्धित शासन के दिशा–निर्देश एवं प्रारूप–1(समाधान हेतु प्रार्थना–पत्र) एवं प्रारूप–2 (शपथ–पत्र/अनुबन्ध पत्र) संलग्न हैं। इस योजना का अपने स्तर से व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुये उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(सकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव

Letter section/

शासनादेश संख्या– /2015/xxvii-8/1A(120)/2001, दिनांक मई, 2015 का संलग्नक।

उत्तराखण्ड ईट भट्टा निर्माताओं द्वारा, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत विशिष्ट इंगित मदों के क्रय–विक्रय पर, देय मूल्य वर्धित कर के विकल्प में धारा 7 की उपधारा(2) के अर्न्तगत एकमुश्त धनराशि स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में भट्टा सीजन वर्ष 2014–2015 एवं 2015–16 हेतु शासन के निर्देश।

(1) उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन उत्तराखण्ड में ईटों के निर्माताओं से उनके द्वारा सीजन वर्ष 2014–2015 एवं 2015–16 (दिनांक 1–10–2014 से 30–09–2015 एवं दिनांक 01–10–2015 से 30–09–2016) तक की अवधि में जिसको आगे "सीजन वर्ष" कहा गया है, निर्मित ईटों, ईट भट्टे में निर्मित टाइल्स, ईट के रोड़ों तथा राबिस की बिक्री और ईटों के निर्माण में प्रयुक्त बालू, कोयला, लकड़ी के बुरादे की खरीद पर विधि के अधीन देय कर के स्थान पर एकमुष्त धनराषि (जिसे आगे समाधान धनराशि कहा गया है) कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार की जा सकती है।

(2) उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) में उन ईंटों के निर्माता व्यापारियों, जिसमें ऐसे व्यापारी भी सम्मिलित हैं जो ईटों के निर्माण/बिक्री के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की खरीद/बिक्री का भी व्यापार करते हैं, द्वारा केवल अपने भट्टे से स्व–निर्मित ईंटों, ईट के रोड़ों और ईंट भट्टा में निर्मित टाइल्स तथा राबिस की बिक्री तथा ऐसी ईटों के निर्माण में प्रयुक्त बालू, कोयला, लकड़ी के बुरादे की खरीद पर उक्त सीजन वर्ष के लिये देय कर के विकल्प में समाधान राशि स्वीकार की जाएगी। अन्य वस्तुओं की खरीद/बिक्री पर विधि के अनुसार कर देय होगा जो समाधान राशि के अतिरिक्त होगा।

(3) गत "सीजन वर्ष" (दिनांक 1–10–2013 से 30–09–2014) में जिन ईंट निर्माताओं ने विधि के अनुसार देय कर के विकल्प में शासन के निर्देश के अधीन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था, उनमें से जिनके द्वारा सभी देय किस्तें उन निर्देशों/शर्तों के अनुसार जमा नहीं की है, ऐसे ईट निर्माता सीजन वर्ष 2014–15 (1–10–2014 से 30–09–2015) एवं सीजन वर्ष 2015–16 (01–10–2015 से 30–09–2016) के लिए इन निर्देशों के अधीन उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) में विकल्प देने के अधिकारी नहीं होंगे, जब तक कि वे गत "सीजन वर्ष" के लिए कुल देय समाधान राशि, उस पर कुल देय ब्याज सहित जमा करने के प्रमाण–स्वरुप चालान अपने कर–निर्धारक प्राधिकारी को प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं कर देते।

(4) सीजन वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के लिये समाधान राशि निम्नवत् होगी:–

भट्टे की श्रेणी	वर्ष 2014–15 के लिये समाधान राषि प्रति भट्टा	वर्ष 2015–16 के लिये समाधान राशि प्रति भट्टा
15 पाये तक	125000	150000
16 पाये तक	143000	172000
17 पाये तक	170000	204000
18 पाये तक	202000	242000
19 पाये तक	235000	282000
20 पाये तक	270000	324000
21 पाये तक	308000	370000
22 पाये तक	363000	436000
23 पाये तक	418000	502000
24 पाये तक	472000	566000

25 पाये तक	534000	641000
26 पाये तक	595000	714000
27 पाये तक	662000	794000
28 पाये तक	728000	874000
29 पाये तक	797000	956000
30 पाये तक	870000	1044000
31पाये तक	942000	1130000
32 पाये तक	1018000	1222000
33 पाये तक	1087000	1304000
34 पाये तक	1162000	1394000
35 पाये तक	1238000	1486000
36 पाये तक	1309000	1571000
37 पाये तक	1382000	1658000
38 पाये तक	1457000	1748000
39 पाये तक	1529000	1835000
40 पाये तक	1600000	1920000

(5) स्पष्टीकरण :–

(क) किसी भी भट्टे में पायों की संख्या वह संख्या होगी, जो भट्टे की चौड़ाई में अन्दर की दीवार से बाहर की दीवार के बीच एक लाइन या रोंस में चट्टों की संख्या है, किन्तु ऐसी किसी भी चट्टे की चौड़ाई भट्टे की चौड़ाई के समानान्तर एक ईट की लम्बाई से अधिक नहीं है। यदि किसी पाये की ऐसी चौड़ाई एक ईंट की लम्बाई से कम है तब भी समाधान राशि गणना हेतु इसे पूरा पाया माना जाएगा।

(ख) यदि किसी व्यापारी के एक से अधिक भट्टे हैं अथवा कोई भट्टा उसने लीज पर लिया है तो उसके सभी भट्टों में से प्रत्येक भट्टे की श्रेणी उपरोक्तानुसार निर्धारित करते हुए अलग–अलग समाधान राशि ऊपर उल्लिखित दरों पर देय होगी।

(ग) यदि किसी भट्टे में एक ही समय में दो या अधिक स्थानों पर फुकाई करके उत्पादन किया जाता है तो समाधान धनराशि की गणना के प्रयोजनार्थ प्रत्येक फुकाई के स्थान को एक भट्टा मानते हुए उसकी श्रेणी के अनुसार उपरोक्त दरों से समाधान धनराशि देय होगी।

(घ) यदि प्रार्थी फर्म का विघटन हो जाता है तो नयी फर्म द्वारा देय समाधान राशि सभी संगत तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार कर आयुक्त कर द्वारा स्वयं निश्चित की जायेगी। विघटन के पूर्व की निर्माता फर्म द्वारा देय समाधान राशि में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि प्रार्थी फर्म का विघटन के बिना पुनर्गठन किया जाता है, जिसके लिये नये पंजीयन की आवश्यकता नहीं है तो ऐसे मामलों में पुनर्गठन के पूर्व व उसके बाद की इकाई एक ही इकाई मानी जायेगी तथा पूर्व में निर्धारित समाधान राशि पूरे वर्ष के लिये लागू रहेगी।

(6) इस योजना में समाधान राशि देने का विकल्प अपनाने के इच्छुक व्यापारी संलग्नक प्रारुप–1 में प्रार्थना पत्र अपने करनिर्धारक प्राधिकारी को भट्टा सीजन 2014–15 के सम्बन्ध में समाधान योजना लागू होने के एक माह के अन्दर एवं भट्टा सीजन 2015–16 के सम्बन्ध में दिनांक 30–10–2015 तक प्रस्तुत करेंगे, जिसके साथ प्रारुप–2 में शपथ पत्र भी संलग्न किया जायेगा। प्रार्थना पत्र के साथ देय समाधान राशि की 20 प्रतिशत राशि जमा किये जाने का प्रमाण (सम्बन्धी चालान) भी संलग्न किया जायेगा। सामान्य रुप से प्रार्थना पत्र देने की अवधि आयुक्त कर द्वारा बढ़ाई जा सकती है।

(7) यदि कोई ईंट निर्माता ऊपर निर्धारित समय से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न कर सका हो तो वह ऊपर बिन्दु (6) के अनुसार अपना प्रार्थना पत्र निर्धारित समाधान राशि के प्रमाण सहित, एवं उक्त निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद हुई देरी के लिये 15 प्रतिषत वार्षिक की दर से ब्याज जमा किये जाने के प्रमाण सहित, आयुक्त कर द्वारा निर्धारित तिथि तक, प्रस्तुत कर सकता है।

(8) धारा–7 की उपधारा (2) में विकल्प हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात किसी भी कारणवश उसे वापस लेने का अधिकार किसी भी ईंट निर्माता का न होगा।

(9) इस योजना के अर्न्तगत देय समाधान राशि निम्नवत जमा की जायेगी :–

क्र0सं0	देय राशि	जमा की समय–सीमा भट्टा सीजन 2014–15 हेतु	जमा की समय–सीमा भट्टा सीजन 2015–16 हेतु
1	समाधान राशि का 20 प्रतिशत	प्रार्थना–पत्र के साथ (समाधान योजना लागू होने के 1 माह के अन्दर)	प्रार्थना–पत्र के साथ (दिनांक 31–10–2015 तक)
2	समाधान राशि का 16 प्रतिशत	समाधान योजना लागू होने के 2 माह के अन्दर।	दिनांक 31–12–2015 तक
3	समाधान राशि का 16 प्रतिशत	समाधान योजना लागू होने के 3 माह के अन्दर।	दिनांक 28–02–2016 तक
4	समाधान राशि का 16 प्रतिशत	समाधान योजना लागू होने के 4 माह के अन्दर	दिनांक 30–04–2016 तक
5	समाधान राशि का 16 प्रतिशत	समाधान योजना लागू होने के 5 माह के अन्दर।	दिनांक 30–06–2016 तक
6	समाधान राशि का 16 प्रतिशत	समाधान योजना लागू होने के 6 माह के अन्दर।	दिनांक 31–08–2016 तक

(10) यदि ऊपर निर्धारित अवधि तक देय राशि जमा नहीं की जाती तब उक्त तिथि के बाद की ठीक अगली तिथि से राशि जमा करने की तिथि तक ब्याज भी देय होगा। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित ईंट निर्माता के विरुद्ध देय समाधान राशि की बकाया राषि की वसूली माल गुजारी की बकाया की वसूली की भांति भी की जायेगी और उसके विरुद्ध यथास्थिति अर्थदण्ड की कार्यवाही भी की जा सकती है।

(11) यदि कोई ईट निर्माता व्यापारी उपर प्रस्तर (6) या यथास्थिति प्रस्तर (7) में निर्धारित तिथि तक धारा–7 की उपधारा (2) में विकल्प हेतु उपरोक्तानुसार प्रार्थना पत्र नहीं देते हैं तो यह समझा जायेगा कि वह विधि के सामान्य प्राविधानों के अनुसार कर निर्धारण कराना, रिर्टन प्रस्तुत करना तथा कर का भुगतान करना चाहते हैं और तद्नुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

(12) किसी ईंट निर्माता को यह विकल्प न होगा कि वह सीजन वर्ष की आंशिक अवधि अथवा अपने कुल ईंट भट्टों में से एक या कुछ भट्टों के सम्बन्ध में एकमुश्त समाधान राशि का विकल्प प्रस्तुत करे तथा शेष भट्टों के सम्बन्ध में सामान्य प्राविधान के अन्तर्गत मूल्य वर्धित कर जमा करें।

(13) यदि किसी नये ईंट निर्माता व्यापारी द्वारा नए खुदे भट्टे में पहली फुकाई "सीजन वर्ष" में दिनांक 01–04–2015 /01–04–2016 को या उसके बाद प्रारम्भ की जाती है तो ऐसे भट्टों में निर्मित ईट, टाइल्स तथा ऐसी ईटों के रोड़े और राबिस की उक्त "सीजन वर्ष" की शेष अवधि में की गयी बिक्री तथा उसी अवधि

में ईंटों के निर्माण में प्रयुक्त बालू, लकड़ी, कोयला और लकड़ी के बुरादे की खरीद पर देय कर के विकल्प में देय एक मुश्त राशि ऊपर प्रस्तर (4) में देय समाधान राशि का 75 प्रतिशत ही होगी। सीजन वर्ष 2014–15 में दिनांक 31–03–2014 तक तथा सीजन वर्ष 2015–16 में दिनांक 31–03–2015 तक कभी भी फुकाई प्रारम्भ करने पर ऊपर प्रस्तर (4) में निर्धारित समाधान राशि ही देय होगी। ऐसे ईंट निर्माता को अपना प्रार्थना–पत्र प्रारुप–1 में षपथ–पत्र/अनुबन्ध (प्रारुप–2) सहित फुकाई प्रारम्भ करने के 30 दिन के अंदर अथवा योजना प्रारम्भ होने के एक माह के अन्दर जो भी बाद में पड़े प्रस्तुत करना होगा। ऊपर प्रस्तर (5) के स्पष्टीकरण (घ) में इंगित, ऐसी फर्म जिसका विघटन धारा 3 की उपधारा (7) के खण्ड़ (ङ)(पप) के अन्तर्गत हो गया है, अपना प्रार्थना पत्र प्रारुप–1 में तथा शपथ–पत्र/अनुबन्ध (प्रारुप–2) सहित आयुक्त वाणिज्य कर को विघटन के 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत करेगी। सामान्य रुप से यह अवधि आयुक्त वाणिज्य कर द्वारा बढ़ायी जा सकती है, लेकिन, उक्त अवधि के बाद हुई देरी के लिए निर्धारित दर से ब्याज जमा किये जाने के प्रमाण–पत्र सहित आयुक्त कर द्वारा निर्धारित तिथि तक प्रार्थना पत्र दिया जा सकेगा।

(14) ऊपर प्रस्तर (13) में इंगित नये ईट निर्माता द्वारा देय एकमुश्त राशि (समाधान राशि) भी प्रस्तर (9) की व्यवस्था के अनुसार ही जमा की जायेगी।

(15) समाधान राशि का विकल्प देने वाले किसी ईट निर्माता द्वारा अपने किसी भट्टे के पायों में वृद्धि की जाती है तो इसकी सूचना उन्हें अपने कर निर्धारक प्राधिकारी को 30 दिन के अन्दर देनी होगी तथा ऐसे भट्टे के सम्बन्ध के बढ़े हुए पायों की संख्या के आधार पर "सीजन वर्ष" के लिए ऊपर प्रस्तर (4) में निर्धारित एकमुश्त जमाराशि देय होगी।

(16) यदि वाणिज्य कर विभाग के किसी अधिकारी द्वारा भट्टे में पायों की संख्या ईट निर्माता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में घोशित पायों की संख्या से अधिक पायी जाती है और ईट निर्माता उस संख्या को स्वीकार करता है तब उसे भट्टे के सम्बन्ध में सीजन वर्ष के लिए अधिकारी द्वारा पाई गई संख्या के आधार पर समाधान राशि देय होगी।

(17) यदि ईट निर्माता, अधिकारी द्वारा पाये गए पायों की संख्या को स्वीकार नहीं करता है तब सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर तत्काल अन्य किसी एक डिप्टी कमिश्नर अथवा दो असिस्टैन्ट कमिश्नर द्वारा जांच करवायेंगे और उक्त अधिकारी/ अधिकारियों द्वारा भट्टे की जांच के आधार पर ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा निर्धारित पायों की संख्या अंतिम मानी जायेगी और तद्नुसार देय समाधान राशि निर्धारित होगी।

(18) ऊपर प्रस्तर (15),(16) तथा (17) के अनुसार यदि समाधान राशि पुनरीक्षित होती है तब प्रस्तर (4) अथवा यथास्थिति प्रस्तर (13) के अनुसार देय राशि भी पुनरीक्षित होगी और प्रत्येक किश्त से सम्बन्धित बकाया राशि पर उसके जमा किये जाने की तिथि के बाद की अवधि के लिए 15 प्रतिषत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज भी देय होगा।

(19) यदि सीजन वर्ष में किसी भट्टे के केवल स्थान में ही परिर्वतन किया जाता है, किन्तु पायों की संख्या तथा ईट निर्माता फर्म के स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं होता तब उस सीजन वर्ष के लिए अन्यथा देय समाधान राशि में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(20) देर से फुकाई प्रारम्भ करने, प्रारम्भ ही न करने अथवा अन्य किसी कारण से प्रस्तर (4) अथवा प्रस्तर (13) में देय समाधान राशि में कोई कमी/परिवर्तन न होगा।

(21)प्रार्थना पत्र तथा शपथ–पत्र आदि में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी ईट भट्टों आदि की जांच करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ईट निर्माता व्यापारी अथवा उनके कोई कर्मचारी या प्रतिनिधि जांच कार्य मे किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे और जांच में पूरा सहयोग देंगे। व्यवधान उत्पन्न होने

अथवा असहयोग की स्थिति में प्रार्थना पत्र तथा शपथ–पत्र आदि में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में विपरीत निष्कर्श निकाला जाएगा। साथ ही यदि कर निर्धारक प्राधिकारी उचित समझें तो प्रार्थना पत्र अस्वीकार भी हो सकता है तथा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अन्य विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है। विपरीत बिन्दु पर ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर का निर्णय अंतिम होगा और कर निर्धारक प्राधिकारी तथा ईंट निर्माता द्वारा मान्य होगा।

(22) इस योजना के स्वीकार करने वाले, ईट निर्माता व्यापारी कोई धनराशि वैट के रुप में ग्राहक से वसूल नहीं करेंगे। यदि वह वसूल करते हैं तो उनके द्वारा ऐसी धनराशि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 40 के अन्तर्गत राजकीय कोषागार में जमा की जायेगी और की गई ऐसी वसूली के लिए धारा 58 में कार्यवाही भी की जायेगी।

(23) समाधान योजना में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने वाले ईट निर्माता व्यापारियों को ईट निर्माण हेतु कोयला आयात करने के लिये समाधान राशि को ही कर मानते हुए उसके आधार पर विक्रयधन का आंकलन करते हुए, ऐसे आंकलित विक्रय धन से निर्मित ईटों की संख्या का अनुमान किया जायेगा और उसी के आधार पर कोयला आयात करने के लिये आयात घोषणा पत्र तथा फार्म–"सी" सम्बन्धित ईट निर्माता व्यापारी को नियमानुसार जारी किये जायेंगे। यह कार्यवाही आयुक्त वाणिज्य कर द्वारा की जायेगी।

(24) यदि अत्यधिक भीषण दैवी आपदा जैसे अत्यधिक वर्षा के कारण किसी क्षेत्र में सामान्य रुप से तबाही होती है, जिसमें योजना के अन्तर्गत समाधान कराने वाले ईट निर्माता को भी क्षति होती है और ईट निर्माता द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जाता है, तो आयुक्त वाणिज्य कर द्वारा तुरन्त जांच करायी जायेगी ताकि तथ्यों का सत्यापन हो सके, तब षासन द्वारा अन्य व्यापारियों को दी जा रही सुविधा के साथ ऐसे ईट निर्माता को भी सुविधा देने पर विचार किया जायेगा।

(25) उत्तराखण्ड ईट निर्माता संघ, एवं ईट निर्माता जिला समितियां भी उन भट्टों के शपथ–पत्र की तसदीक कर सकेगी, जिनके द्वारा समाधान योजना करने का विकल्प दिया जाए।

प्रारूप–1

भट्टा व्यवसाय में उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र

सेवा में,

कर निर्धारक प्राधिकारी,

खण्ड.....

मण्डल/ उपमण्डल...

महोदय,

मैं फर्म सर्वश्री.....जिसका मुख्यालय.....पर स्थित है तथा जिसे उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 में .....कार्यालय.....द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या..... .....दिनांक.....से प्रभावी किया गया है तथा जिसे उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करने के लिए करनिर्धारक प्राधिकारी खण्ड.....मण्डल/ उपमण्डल.....के कार्यालय में दिनांक .....को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, का स्वामी/ साझीदार .....हूँ। मैंने ईंट निर्माताओं द्वारा अपने भट्टे में स्वनिर्मित ईटों, ईट भट्टे में निर्मित टाइल्स, ऐसे ईट के रोड़ों, राबिश आदि की दिनांक 01–10–2014 से 30–09–2015/दिनांक 01–10–2015 से 30–09–2016 (जो लागू न हो उसे काट दें) की अवधि में की जाने वाली बिक्री पर तथा उक्त ईट आदि के निर्माण में प्रयोग हेतु क्रय किये जाने वाले लकड़ी, कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे पर देय कर के विकल्प में धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन एकमुश्त राशि स्वीकार करने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी निर्देशों को स्वयं पढ़ लिया है, अथवा पूर्ण रूप से सुन लिया है और भलीभाँति समझ लिया है। उक्त निर्देश की सभी शर्तें मुझे मान्य हैं। उन्हीं के अधीन मैं यह प्रार्थना पत्र उक्त फर्म की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मैं उक्त फर्म द्वारा ईंटों, ईट भट्ठे में निर्मित टाइल्स तथा ऐसी ईटों के रोड़ों और राबिश की सीजन वर्ष 01–10–2014 से 30–09–2015/दिनांक 01–10–2015 से 30–09–2016 (जो लागू न हो उसे काट दें) में की जाने वाली बिक्री तथा इसी अवधि में ईटों के निर्माण में प्रयोग हेतु क्रय किये जाने वाले लकड़ी, कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे पर देय कर के स्थान पर उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के उपबन्ध के अधीन समाधान हेतु एकमुश्त निर्धारित धनराशि संलग्न शपथ पत्र/ अनुबन्ध के अनुसार, जो रूपया.....है स्वीकार किये जाने का निवेदन करता हूँ। कुल राशि को मैं शपथ पत्र/अनुबन्ध पत्र में दी गयी शर्तो के अनुसार जमा करता रहूँगा। उक्त धनराशि का ..... प्रतिशत राशि रूपये .....तथा उस पर देय ब्याज मेरे द्वारा जमा कर दिया गया है, जिसका चालान संलग्न है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि किसी कारण से मेरा यह निवेदन वापस या निष्प्रभावी नहीं होगा।

दिनांक 01–10–2014/01–10–2015 (जो लागू न हो उसे काट दें) को मेरे यहाँ स्टाक निम्नवत् था :–

कम सं0	मद	विवरण	संख्या/ मात्रा	स्थान, जहाँ स्टाक रखा है।
1.	पक्की ईटें			
2.	इटों के रोड़े			
3.	भट्ठे में निर्मित टाइल्स			
4.	राबिश			
5.	कोयला			
6.	लकड़ी			

7. बालू
8. लकड़ी का बुरादा

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....
पूरा नाम.....
प्रास्थिति.....

प्रमाणीकरण

मैं इस प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। यह फर्म.....
.....के स्वामी / साझीदार.....हैं, तथा इस प्रार्थना पत्र पर उन्होंने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर
पूरा नाम.....
पूरा पता.....

प्रारूप–2:–

समक्ष कर निर्धारक प्राधिकारी,
खण्ड.....
मण्डल/ उपमण्डल.....
मैं .....पुत्र श्री.....आयु लगभग.....वर्ष, स्थायी निवासी.....
.....(पूरा पता) शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि–

1. मैं, फर्म सर्वश्री.....जिसका मुख्यालय.....(पूरा पता) पर स्थित है का स्थायी/ साझीदार.....(प्रास्थिति) हूँ तथा यह शपथ पत्र अपनी उपरोक्त फर्म की ओर से दे रहा हूँ।

2. मेरे फर्म के मुख्यालय तथा शाखाओं के विवरण निम्नवत् हैं:–

पूरा पता जिसका निर्माण या व्यापार होता है	वस्तुएं निर्मित वस्तुओं के साथ सह उत्पादों का विवरण
1– मुख्यालय	
2– शाखायें	
(अ)	
(ब)	
(स)	

3– उत्तराखण्ड ईट निर्माताओ द्वारा ईटो, ईट भट्टे मे निर्मित टाईल्स, ईटो के रोड़ो तथा राबिश की सीजन वर्ष 01–10–2014 से 30–09–2015/दिनांक 01–10–2015 से 30–09–2016 (जो लागू न हो उसे काट दें) में हुई बिकी और उसी अवधि में ईटों के उत्पादन में प्रयुक्त लकड़ी, कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर देय कर के स्थान पर उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन समाधान हेतु एकमुश्त धनराशि स्वीकार करने से सम्बन्धित शासन के निर्देशों एवं उसमें अंकित सभी शर्तो तथा आयुक्त कर उत्तराखण्ड द्वारा दिये गये आदेशों एवं प्रतिबन्धों की पूरी–पूरी एवं सही जानकारी मुझे तथा मेरे फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को हो चुकी है, तथा सभी निर्देश, शर्तें आदेश, प्रतिबन्ध मुझे तथा मेरे फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को मान्य हैं और सदा रहेंगे।

4– मेरी उक्त फर्म के अपने निजी एवं लीज पर ईंट के निम्नलिखित भट्टे सीजन वर्ष 01–10–2014 से 30–09–2015/दिनांक 01–10–2015 से 30–09–2016 (जो लागू न हो उसे काट दें) में है तथा रहेंगे। यदि इसमें कोई परिवर्तन/वृद्धि होती है, हो या किसी भटटे के पायों में कमी या वृद्धि की जाती है तो उसकी सूचना ऐसे परिवर्तन/वृद्धि से तीस दिन के अन्दर अपने कर निर्धारक प्राधिकारी को उपलब्ध कराऊँगा। मेरी फर्म के अन्तर्गत समस्त भट्टों का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	भट्ठों का नाम एवं उनके स्थान का पूरा पता	पायों की संख्या	एक समय में कितने स्थान पर फुकाई होती है।	पायों की सं0 के आधार पर प्रत्येक भट्ठे के लिए प्रस्तावित एक मुश्त धनराशि	प्रस्तावित समाधान राशि
1	2	3	4	5	6

कुल योग.....

5– प्रस्तर–4 में अंकित भट्टों तथा इसी तालिका के स्तम्भ–6 में अंकित धनराशि का कुल योग..... होता है जो मेरी/हमारी फर्म द्वारा देय होगा। इस धनराशि की 20 प्रतिशत राशि का चालान इस शपथ पत्र अनुबन्ध व मेरे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। यदि मेरे द्वारा फर्म की ओर से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार होता है तब अवशेष समाधान धनराशि, मेरी फर्म द्वारा, षासन द्वारा निर्गत समाधान योजना में निर्धारित समय–सीमा के अन्दर जमा की जायेगी।

6– हमारा/ मेरा भट्टा नया अथवा.....से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 की उपधारा (7) के खण्ड (ड.)(पप) के अन्तर्गत विघटन के कारण पुर्नगठित हुआ है और इसमें दिनांक.....से फुकाई प्रारम्भ हुई है/होगी। इस पर देय समाधान राशि रू0.....होती है, जिसका 1/3 मैंने ..... बैकों की शाखा.....में जमा कर दिया है और चालान संलग्न है। शेष धनराशि मैं आयुक्त कर के निर्देशानुसार जमा करूंगा।

7– यदि सीजन वर्ष दिनांक 01–10–2014 से 30–09–2015/दिनांक 01–10–2015 से 30–09–2016 (जो लागू न हो उसे काट दें) के लिये मेरा धारा 7 की उपधारा (2) में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तब मेरी फर्म इस शपथ पत्र/अनुबन्ध के अनुलग्नक–1 में दी गयी शर्तो का अनुपालन करने, शासन द्वारा दिये गये निर्देशों तथा आयुक्त कर द्वारा लगायी गयी शर्तो/प्रतिबन्धों में दिये गये आदेशों का पालन करने तथा अपने दायित्वों को निबाहने के लिए बाध्य होगी। अनुलग्नक में दिये गये निर्देशों, लगाए गए प्रतिबन्धों और निर्धारित शर्तो के अनुपालन न किए जाने की दशा में उत्तराखण्ड शासन तथा व्यापार कर विभाग, अनुलग्नक में उल्लिखित कार्यवाहियॉ मेरी फर्म के विरूद्ध कर सकेगा।

हस्ताक्षर.....
पूरा पता.....
प्रास्थिति.....

घोषणा

मैं कि.....उपरोक्त घोषणा करता हूॅ कि शपथ पत्र अनुबन्ध के प्रस्तर–1 से 7 में अंकित विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में पूर्ण तथा सत्य हैं और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यह भी घोषणा करता हूॅ कि इस शपथ पत्र/अनुबन्ध तथा इसके संलग्नक में निर्धारित प्रतिबन्धों, शर्तो और निर्देशों से मै तथा मेरी फर्म में हितबद्ध अन्य सभी व्यक्ति आबद्ध रहेगें।

हस्ताक्षर.....
नाम.....
प्रास्थिति.....

साक्षी के हस्ताक्षर.....
नाम एवं पता.....
तिथि एवं स्थान.....